आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 23 ( )/लेखा/आकाशि/विविध./छात्रवृति/2017–18/393 दिनांक 24-8.17

समस्त प्राचार्य
(राजकीय/निजी)
नवीन प्रारम्भ महाविद्यालय
राजस्थान

विषय :– ऑनलाईन छात्रवृति पोर्टल हेतु सत्र 2017–18 में खुले नवीन महाविद्यालयों को http://scholarship.rajasthan.gov.in पर रजिस्ट्रर्ड करने बाबत।

महोदय,

वर्ष 2017–18 में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा दी जाने वाली छात्रवृतियां (यथा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति, मेधावी स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना, विधवा /परित्यक्ता (बी.एड) मुख्यमंत्री संबंल योजना) ऑनलाईन की जा रही है इस हेतु राज्य सरकार के http://scholarship.rajasthan.gov.in पोर्टल पर नये प्रारम्भ महाविद्यालयों को रजिस्ट्रर्ड करना होगा अन्यथा इसके अभाव में विद्यार्थियों को छात्रवृति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय छात्रवृति पोर्टल पर महाविद्यालय का नाम प्रदर्शित नहीं होगा जिससे विद्यार्थियों को छात्रवृति के आवदेन ऑनलाईन भरने में असमर्थ रहेगें।

अतः सत्र (2017–18) में नवीन प्रारम्भ महाविद्यालयों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रर्ड करना अनिवार्य होगा। पूर्व में स्थापित सभी महाविद्यालय जिन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उत्तर मेट्रिक छात्रवृति योजनाओं हेतु स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रर्ड कर रखा है उन्हें पुनः रजिस्ट्रर्ड करने की आवश्यकता नहीं है।

(एन.एल. शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांकः एफ 23 ( )/लेखा/आकाशि/विविध./छात्रवृति/2017–18/394 दिनांक 24-8.17
प्रतिलिपि :– प्रभारी वेबसाईट को अपलोड हेतु।

वित्तीय सलाहकार

D\all office datas\other file\F23(61) SC Scooty Yojna